



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

No. 206]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

सा.का.नि. 323(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 और धारा 33ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी मंत्रालय की अधिसूचना सा सख्या .नि .का .719 (ई तारीख (25 जुलाई, 2016 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार नीचे दी गई तालिका के कॉलम में 2 में विनिर्दिष्ट आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधों के बारे में अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन करने हेतु पूरे भारत के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है:-

तालिका

क्र.सं.	नाम और पदनाम
(1)	(2)
1.	डॉ दुष्यंत किशोर, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद)
2.	डॉ हिमांशु जोशी, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद)
3.	डॉ रजनीश कुमार गौतम, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद)
4.	डॉ अश्विनी कुमार जयमवाल, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद)
5.	डॉ राहुल जैन, अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद)
6.	डॉ डी कुमारन, अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध)
7.	डॉ रचना पावलीवाल, अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी)

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारी आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी मंत्रालय में इस कार्य का निर्वहन अपने सामान्य दायित्वों के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक के बिना करेंगे।

[फा.सं.ए .11012/01/2018-डीसीमी (आयुष)]

प्रमोद कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2018

G.S.R. 323 (E).—In exercise of the powers conferred by section 21 and section 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, published in the Gazette of India, vide number GSR 719(E), dated the 25th July, 2016, the Government of India hereby appoints the following officers presently working in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy specified under column (2) of the Table given below as Inspectors with additional charge for the whole of India to discharge the duties in respect of the Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945:-

Table

Sl. No.	Name and Designation
(1)	(2)
1.	Dr. Dushyant Kishore, Research Officer (Ayurveda)
2.	Dr. Himanshu Joshi, Research Officer (Ayurveda)
3.	Dr. Rajnish Kumar Gantam, Research Officer (Ayurveda)
4.	Dr. Ashwani Kumar Jaiswal, Research Officer (Ayurveda)
5.	Dr. Rahul Jain, Research Officer (Ayurveda)
6.	Dr. D. Kumaran, Research Officer (Siddha)
7.	Dr. Rachna Paliwal, Research Officer (Homoeopathy)

2. The above mentioned Officers will discharge the work in addition to their normal duties in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, without additional remuneration.

[F.No. A.11012/01/2018-DCC (AYUSH)]

PRAMOD KUMAR PATHAK, Jt. Secy.